DR Krishnadeo kumar bharti
Assistant professor (G.T)
Dept of Political science
C.M.j College Donwarihat
Khutauna, Madhubani
Email--Kdkbharti08@gmail.com
B.A Part-3 Date----05--08--2020
Mo.No--9234999361

भारत की गुट निरपेक्षता की निति की विशेषताओं का वर्णन करें।

गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेशनीति का एक महत्वपूर्ण आधार है।भारतीय विदेशनीति को गुट-निरपेक्षता का आधार प्रदान करने में प्रमुख हाथ पंडित जवाहर लाल नेहरू और कुछ हद तक श्री कृष्ण मेनन का स्थान रहा है।पंडित नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत किसी शक्ति गुट में सम्मलित नहीं होगा और गुट-निरपेक्षता भारतीय विदेशनीति की प्रमुख विशेषता होगी।

गुट-निरपेक्षता का अर्थ ----इसके अर्थों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ इस प्रकार है---
प्रो.हिरेन मुखर्जी के अनुसार-----"गुट-निरपेक्षता का अर्थ किसी के प्रति शत्रुता का न होना, प्रतियोगी शक्ति गुटों से जान बुझकर दूर रहना, अन्तर्राष्ट्रीय विषयों के गुटों का आधार पर निर्णय करने और इस निर्णय के आधार पर काम करने की स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है।"
श्री के.जे.होल्सटीन के अनुसार----"गुट-निरपेक्षता का अर्थ यह है कि कोई राज्य अपने सैनिक योग्यता और किसी अन्य राष्ट्र के उद्देश्य के लिए अपने कूटनीति के सर्मथन सम्बन्धी बचनबद्ध नहीं होगा और न ही वह सैनिक समझौते रूपी सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रयत्न करेगा।

गुट-निरपेक्षता की निति की व्याख्या करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरु ने कहा था--"जब हम यह कहते है कि हमारी निति गुट निरपेक्षता की निति है, तो इसका स्पष्ट भाव यह होता है कि हम किसी सैनिक गुट में सम्मलित नहीं है।यह कोई निषेधात्मक निति नहीं है अपितु यह एक सकारात्मक, निश्चित और गतिशील निति है, परन्तु जहाँ तक सैनिक गुटों और शीतयुद्ध का सम्बन्ध है हम अपने आप को किसी गुट के साथ नहीं जोड़ते हैं।"

गुटनिरपेक्षता के उपर्युक्त वर्णित अर्थो के आधार पर संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ सैनिक समझौते से बाहर रहना, विश्व के किसी शक्ति गुट मे सम्मलित न होना और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में अपने स्वतंत्र इच्छानुसार निर्णय करना और उस निर्णय के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है।यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि कोई देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी दूसरे देश के साथ संधि कर सकता है और ऐसी संधि को गुटनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं समझा जाता।

भारतीय गुट-निरपेक्षता का स्वरूप या विशेषताएँ------

1. गुटनिरपेक्षता की निति निरपेक्षता या उदासीनता की निति नहीं है---स्विट्जरलैंड और अस्ट्रेलिया दो ऐसे देश हैं जो विशुद्ध और कठोर रूप में निष्पक्षता की निति का पालन करते हैं।निष्पक्ष देश और गुट निरपेक्ष देश में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक अंतर होता है।निष्पक्ष देशों की निष्पक्षता अन्य देशों द्वारा भी स्वीकार की जाती है। निष्पक्ष देश अन्तर्राष्ट्रीय विषयों की घटनाओं के सम्बन्ध में पूर्णतया निर्लेप रहते हैं और वे किसी अन्तर्राष्ट्रीय घटना या विषय के सम्बन्ध मे अपने विचार अभिव्यक्त नहीं करते, परन्तु ऐसे प्रतिबंध गुट निरपेक्ष देशों के प्रति क्रियान्वित नहीं होते।

*2.*यह निषेधात्मक नीति नहीं है-----गुट-निरपेक्षता के इस पक्ष को ही स्पष्ट करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था--"मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो नीति भारत ने ग्रहण की थी वह नीति निषेधात्मक और निरपेक्ष नीति नहीं है।यह सकारात्मक और महत्वपूर्ण नीति है जब मनुष्य की स्वतंत्रता और शांति खतरे में होगी।हम न तो निरपेक्ष रह सकते हैं और न ही रहेंगे।ऐसी स्थिति में निरपेक्ष रहना उस सर्वस्व का खण्डन होगा।जिसके लिए हमने संघर्ष किया है और जिसका प्रतिनिधित्व करते है।"

3. स्वतंत्र निर्णय लेने की नीति-----गुटनिरपेक्षता की नीति ने भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विषयों के सम्बन्ध में स्वविवेक से निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान की है।इस नीति के कारण भारत रुसी या अमेरिकी गुट के आदेशों या इच्छा अनुसार निर्णय लेने के लिए कटिबद्ध नहीं है।

*4.*सामूहिक सैन्य समझौतों का निषेध-----गुट निरपेक्ष देशों ने बेलग्रेड के प्रथम अधिवेशन में यह निर्णय लिया था कि कोई भी गुट-निरपेक्ष देश बड़ी शक्तियों के प्रसंग में किये गए सामूहिक सैन्य समझौते में सम्मलित होगा उसकी गुट निरपेक्षता समाप्त हो सकता है, परन्तु इसके साथ इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया था कि यदि कोई गुट निरपेक्ष देश अन्य देश से अपने राष्ट्रीय हितों के लिए द्विपक्षीय सैन्य संधि करता है तो उसकी ऐसी संधि गुट निरपेक्षता की अवेहलना नहीं होगा।

*4.*गुट-निरपेक्ष देशों की गुटबन्दी नहीं------गुटनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि गुट-निरपेक्ष देशों का एक अपना पृथक गुट हो।यदि ऐसी स्थिति में फिर विश्व राजनीति में इन राष्ट्रों के एक नये गुट का अस्तित्व माना जाऐगा।अन्य गुटों की भाँति निर्गुट देशों का गुट भी गुटबन्दी की नीति का पालन करेगा और इस प्रकार अन्य गुटों से उसका कोई अंतर नहीं रह जाऐगा, परन्तु गुटनिरपेक्षता की नीति का सर्वथा यह अर्थ नहीं है क्योंकि निर्गुट दल अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करते हैं और सामूहिक रूप में वे किसी गुट का निर्माण नहीं करते।

*5.*भारत क्षेत्रीय सहयोग की संधि में सम्मलित हो सकता है-----अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी एक क्षेत्र के कुछ देश मिलकर संधि कर सकते है।ऐसी संधि सैन्य स्वरूप की नहीं होनी चाहिए, अपितु संधि में सम्मलित देशों की परस्पर मित्रता और सहयोग के उद्देश्य से की जानी चाहिए।

उपर्युक्त अध्ययनों के आधार पर इसमें संदेह नहीं है कि गुट-निरपेक्षता की नीति की आलोचना का आधार कुछ सही है, लेकिन विश्व की समूची स्थिति को और अपने देश के लिए सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर हमें कहने मे कोई संकोच नहीं है कि भारत के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति हर पक्ष से उचित और तर्कशील नीति है।वर्तमान परिस्थितियों में भारत का गुट निरपेक्ष रहना और भी आवश्यक है क्योंकि भारत की ऐसी स्थिति इसको विश्व राजनीति में एक विशेष स्थान और महत्ता प्रदान कर सकते है।

आगे, धन्यवाद।

2020-08-05
© From vivo Note

Scanned with CamScanner